कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस आगरा /अलीगढ परिक्षेत्र।

यूआईडी:2017/33013/ईटीएच/एटा/148/डी0डी0 /1057. दिनांक: अगस्त 9 2017,

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैसर्स सैन्ट पॉल्स स्कूल,
गाटा नं0–1334, ग्राम अवागढ परगना+तहसील जलेसर,
जनपद–एटा।

विषय: **मैसर्स सैन्ट पॉल्स स्कूल, द्वारा गाटा नं0–1334, ग्राम अवागढ परगना+तहसील जलेसर जनपद एटा उ0प्र0 में संचालित एजुकेशनल भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा से किया गया है।

प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एटा श्री एस0के0 दोहरे द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 31–07–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा श्री वी0के0 सिंह को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 31–07–2017 इस कार्यालय को प्रेषित गयी तथा प्रश्नगत आख्याओं का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:–

1–कुल प्लाट एरिया–6990.00 वर्ग मी0।

2–निर्मित भूतल तल कवर्ड एरिया–2225.36 वर्ग मी0।

3–भवन की ऊचॉई:–06.60 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डस श्रेणी:– प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के अनुसार एजुकेशनल भवन श्रेणी–बी0 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यवस्था:–

1–पहुॅच मार्ग:–भूखण्ड के सामने 14.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है। जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2–प्रवेश द्वार:– प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौड़ाई 04.50 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3–सैटबेक:– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–65.12 मीटर से अधिक खुला स्थान।

बी0–पृष्ठ भाग–06.00 मीटर।

सी0–पार्श्व–प्रथम–06.00 मीटर चौडा रोड।

डी0–पार्श्व–द्वितीय–06.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का अस्थाई/स्थाई निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नही होगी।

4–निकास मार्ग:– प्रश्नगत भवन में 04 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 मी0 निर्मित है, तथा भवन के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स मानकों के अनुरूप अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0–3844 आदि के सुसंगत मानको के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं स्थापित एवं कार्यशील पायी गयी:–

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित है।

2–पी0ए0 सिस्टम:– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

3–एग्जिट साईनेज–प्रस्तावित भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 11E 13-12-17 जो दिया गया है, कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय यपर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

16. सोसायटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. स्कूल सुरक्षा नीति के अनुसार –

विद्यालय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाये, जिसमें आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सामग्री भी उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाये कि दवाओं की एक्सपायरी की समय-समय पर जॉच हो।

अति ज्वलनशील सामग्री जैसे कैरोसिन आयल, तेजाव, पेट्रोल एवं एल0पी0जी0 गैस सभी सुरक्षित तरीके से स्टोर में तथा बच्चों से दूर हो।

प्रत्येक विद्यालय में इमरजैन्सी नम्बरों यथा पुलिस के लिये 100, अग्निशमन केन्द्र के लिये 101, एम्बूलेन्स के लिये 102, इमरजेन्सी के लिये 108, महिला हैल्पलाइन के लिये 1090 एवं चाइल्ड लाईन के लिये 1098 नम्बर के साथ-साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के नम्बर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित कराये जाये।

विद्यालय प्रबन्ध समिति को विद्यालय सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा से जुडे मुददों पर प्रशिक्षित कर दक्ष बनाया जायेगा।

विद्यालय स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के टास्क फोर्स जैसे खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, सूचना चेतावनी एवं जनजागरूकता, जल स्वच्छता एव बाल सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन कराया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा समिति का गठन कराया जायेगा और समय समय पर विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति की वैठक आहूत की जायेगी जिसमें आपदा एव वाल सुरक्षा से जुडे मुछदे एवं इनसे वचाव के उपायों पर चर्चा की जायेगी एवं प्रभावी रणनीति बनायी जायेगी।

18. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं कर्मचारी पद अनुमन्य होगें।

B विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (अग्रेजी माध्यम) पाठयकम से भिन्न पाठयकम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठय पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

C विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगां

D शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति मे मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(एस0के0तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा
30/12/17

पृ0सं0/ /2017-18 दिनांक वही।

प्रतिलिपि- निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ

2- सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद

3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा

5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा